प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

## पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 27.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

## मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान ''मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान'' चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 27.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

## थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 26.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजेश कबूतरा पुत्र विनोद कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुए त्रिपाठी कृषि फार्म हाऊस ग्राम सौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेश कबूतरा पुत्र विनोद कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुबाषचन्द्र तिवारी चौकी प्रभारी सौरा
2. हे0कां0 राजेश कुमार
3. हे0कां0 शत्रुघन सिंह

# महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.12.2024

मीडिया सेल, महोबा

## थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक-26.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अरविन्द सेन उर्फ तज्जू पुत्र स्व0 रमेश उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में कुल 10 ली0 कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज बरामद करते हुए ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द सेन उर्फ तज्जू पुत्र स्व0 रमेश उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. हे0कां.अजीत तिवारी
3. हे0कां0 राजाराम पाल
4. कां0 पवन कुमार

@MahobaPolice

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.12.2024

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

**थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत विगत दिनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आपराधिक प्रवत्ति के शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा एवं खोखा कारतूस सहित चोरी की सम्पत्ति व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी की गयी है।**

**पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अवैध शस्त्र, चोरी, अवैध गांजा सहित गैंगेस्टर एक्ट के विभिन्न आपराधिक अभियोग हैं दर्ज-**

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 27.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने विगत दिनों थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत हुई चोरी के सम्बन्ध में भ्रमणशील रहते हुए सुरागरसी पतारसी में मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक शातिर किस्म का व्यक्ति बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल के साथ अवैध तमंचा से लैस होकर किसी अपराधिक घटना को अन्जाम देने की नियत से करिया पठवा के पास बिलवई पुलिया के पास खड़ा है यदि जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर करिया पठवा से बजरिया की तरफ जाने वाली रोड़ के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा की पुलिस टीम पहुंची इस दौरान पुलिस को देखकर एक बारगी भागने का प्रयास किया, पुलिस टीम ने रुकने के लिए कहा तो नहीं रुका साथ ही ललकारते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया जिससे एक गोली अभियुक्त के लगने पर वह वहीं गिर गया, पास जाकर अभियुक्त का नाम पता व जामा तलाशी ली गयी तो पाया कि एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी है, अभियुक्त ने अपना नाम राजू अहिरवार पुत्र कन्धी अहिरवार नि0 फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा बताया, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01अदद तमंचा 315 बोर, 03अदद जिन्दा कारतूस व 01अदद खोखा कारतूस 315 बोर व शर्ट की जेब से 3000/- रुपये संबंधित मु0अ0स0 610/24 व पैंट की जेब से 10000/- रुपये संबंधित मु0अ0स0 640/24 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस तथा एक अदद बिना नम्बर की मोटर साइकिल HF DELUX न. UP95S1288 बरामद की गयी है।

इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु.अ.सं. 683/24 धारा 109 बी.एन.एस. (पुलिस मुठभेड) तथा धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया व बिना नम्बर की बरामद मोटर साइकिल को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

राजू अहिरवार पुत्र कन्धी अहिरवार नि0 फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु.अ.स. 61/23 धारा- 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कुलपहाड़
2. मु.अ.सं. 150/21 धारा 380/411/457 थाना कुलपहाड़
3. मु.अ.सं. 242/18 धारा 13 जी एक्ट थाना चरखारी
4. मु.अ.सं. 627/12 धारा 363/366 भादवि कोतवाली नगर महोबा
5. मु.अ.सं. 636/15 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली नगर महोबा
6. मु.अ.सं. 818/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा
7. मु.अ.सं. 15/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर
8. मु.अ.सं. 610/24 व मु.अ.स. 640/24 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली महोबा
9. मु.अ.सं. 683/24 धारा धारा 109 बी.एन.एस. (पुलिस मुठभेड़) तथा धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली महोबा

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री अर्जुन सिंह
2. निरीक्षक सत्य पाल सिंह 3.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल 4.उ0नि0 बुद्धि सागर
5. हे0का0 ज्ञानेन्द्र शर्मा 6.हे0का0 विकास सिंह 7.हे0का0 करम शेर खा
8. का0 राजेश कुमार सिंह 9.का0 अवनेश कुमार

## थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 26.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के ग्राम सूपा के पास से अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त अरविन्द सेन उर्फ तज्जू पुत्र स्व0 रमेश उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को हिरासत मे लिया गया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में कुल 10 ली0 कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज की बरामदगी की गयी। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 307/2024 धारा 60 EX ACT के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. हे.कां.अजीत तिवारी
3. हे.कां.राजाराम पाल
4. कां.पवन कुमार

### गिरफ्तार अभियुक्त –

अरविन्द सेन उर्फ तज्जू पुत्र स्व0 रमेश उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा।

### बरामदगी-

एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली0 कच्ची देशी शराब नाजायज

## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित केन्द्र का जायजा लिया गया है, उ0प्र0 आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा-2023 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के जांचे गये अभिलेख एवं शारीरिक मानक, डी0वी0/पी0एस0टी0 दल को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक- 27.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस लाइन महोबा में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के अन्तर्गत हो रही अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डी0वी0/पी0एस0टी0) का निरीक्षण कर पुलिस लाइन अवस्थित केन्द्र की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया एवं पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुरुप प्रक्रिया को सुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा की उपस्थिति में कुल 50 महिला अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डी0वी0/पी0एस0टी0) प्रक्रिया सम्पादित की गयी है। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जनपद महोबा में यह प्रक्रिया 16 जनवरी 2025 तक चलेगी, जिसमें कुल 1131 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण होना प्रस्तावित है। इस दौरान शिफ्टवार वरीयता के क्रम में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को अलग-अलग बुलाया जा रहा है, इस दौरान पुलिस लाइन अवस्थित केन्द्र परिसर में अभ्यर्थी के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने की इजाजत नहीं है, पूरी सुचिता व निष्पक्षता के साथ इस कार्य को किया जा रहा है। इस दौरान मेडिकल बोर्ड में चिकित्सकों की टीम भी शामिल की गयी है, कागजातों की चेकिंग के लिए भी अलग टीम को लगाया गया है, इसके बाद अभ्यर्थियों की लम्बाई, वजन और अन्य शारीरिक माप की जा रही है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह, स.उ.नि. (एम.) सुनील कुमार यादव, स.उ.नि. (एम.) आदर्श सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड व डी0वी0/पी0एस0टी0 दल के अधि./कर्म. मौजूद रहे।